निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **346**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहपुर जिला जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व॰ श्री सुल्तान राम जाट
2. राजेन्द्र पुत्र स्व॰ श्री सुल्तान राम जाट
3. अशोक पुत्र स्व॰ श्री सुल्तान राम जाट
4. विनोद सिंह डागर पुत्र स्व॰ श्री सुल्तान राम जाट

(समस्त विधिक वारीसान स्व॰ श्री सुल्तान राम जाट)

समस्त निवासी 136, ढाणी कपूरिया की निठारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.07.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुल्तान राम जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं॰ 26 ग्राम पंचायत निठारा पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 315 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं

कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुल्तान राम जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं॰ 26 ग्राम पंचायत निठारा पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 315 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 4.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर